

## CORPORATE OFFICE

### Delhi Office

706 Ground Floor Dr. Mukherjee  
Nagar Near Batra Cinema Delhi -  
110009

### Noida Office

Basement C-32 Noida Sector-2  
Uttar Pradesh 201301



दिनांक: 13 अप्रैल 2024

# भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) , 1951 और निजता का अधिकार

( यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 - ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और ' निजता का अधिकार ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और ' निजता का अधिकार ' से संबंधित है।)

## खबरों में क्यों ?




- हाल ही भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने कुछ पहलुओं के बारे में गोपनीयता का रखने अधिकार है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है कि भारत में **चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार** हर विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय यह फैसला एक विधायक से जुड़े एक विशिष्ट मामले के जवाब में दिया गया था। जिसका चुनाव संपत्ति के रूप में वाहनों का उपयोग करने के बारे में खुलासा करने में विफलता के कारण लड़ा गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने विधायक का पक्ष लेते हुए कहा कि - " वाहन, एक बार बेचे जाने के बाद, चुनावी प्रकटीकरण के उद्देश्य से संपत्ति के रूप में योग्य नहीं होते हैं।"

## वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि :

- भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मामला पेश किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक ने 2023 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
- जिसमें चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार उनकी संपत्ति की घोषणा से तीन वाहनों को हटा दिए जाने के कारण उनके चुनाव को अमान्य कर दिया गया था।
- अरुणाचल प्रदेश के उस विधायक पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 की धारा 123 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जो इन वाहनों के स्वामित्व का खुलासा न करने के लिए **“भ्रष्ट आचरण”** को परिभाषित करता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया कि – **“ किसी उम्मीदवार का अपनी उम्मीदवारी के लिए अप्रासंगिक या मतदाताओं के लिए कोई चिंता का विषय नहीं होने वाले मामलों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का निर्णय आरपीए, 1951 की धारा 123 के तहत “भ्रष्ट आचरण” नहीं है। ”**
- इस तरह का गैर – प्रकटीकरण आरपीए, 1951 की धारा 36(4) के तहत एक महत्वपूर्ण दोष नहीं है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को उस उम्मीदवार के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसे वे समर्थन देना चाहते हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। जब तक कि यह उनके समग्र संपत्ति मूल्य को प्रभावित नहीं करता है या उनके जीवन स्तर को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

## भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) , 1951 क्या है ?



- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951, भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों को नियंत्रित करता है। भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित, आरपीए, 1951 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए रूपरेखा तैयार करता है।
- यह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए योग्यता और अयोग्यता, मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, चुनाव का संचालन और चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान की रूपरेखा बताता है।

## जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) , 1951 के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं -

**उम्मीदवारों की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ :** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951, की धारा 8 से 10, संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों के लिए आवश्यक योग्यताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह अयोग्यता के लिए विभिन्न आधारों को भी निर्दिष्ट करता है, जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, अनुमोचित दिवालिया होना, या सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना।

**चुनाव का संचालन :** भारतीय संविधान की धारा 21 से 29 चुनाव के संचालन से संबंधित है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया और मतदान की प्रक्रिया शामिल है।

**चुनाव संबंधी विवाद :** भारतीय संविधान की धारा 80 से 99 तक चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान का प्रावधान है। इसमें चुनाव याचिकाएं दाखिल करना, चुनाव न्यायाधिकरणों का क्षेत्राधिकार और वे आधार शामिल हैं जिन पर भारत में होने वाले चुनाव – संचालन की प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है।

**भारत में चुनाव में होने वाले खर्च :** भारतीय संविधान की धारा 77 से 81F चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च को नियंत्रित करती है। अधिनियम राजनीति में धन के प्रभाव को रोकने के लिए अभियान खर्च पर सीमा लगाता है और उम्मीदवारों को व्यय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

**भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) :** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 के तहत चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्थापना करता है। ईसीआई की शक्तियों और कार्यों को अधिनियम के विभिन्न वर्गों में चित्रित किया गया है, जो इसे चुनावों की निगरानी करने, चुनावी कानूनों को लागू करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाता है।

### **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) , 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण क्या होता है ?**

- भारत के संविधान की धारा 123 के तहत चुनाव में भ्रष्ट आचरण का वर्णन किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में सफलता की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के इरादे से किए गए कार्यों के रूप में करती है। इन कार्रवाइयों में विभिन्न प्रकार के कदाचार शामिल हैं, जिनमें रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव का प्रयोग, गलत जानकारी का प्रसार और धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा जैसे कारकों के आधार पर शत्रुता भड़काना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- धारा 123(4) चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठे बयानों के जानबूझकर प्रसार को शामिल करने के लिए भ्रष्ट आचरण की परिभाषा का विस्तार करती है। यह प्रावधान मतदाताओं की राय में हेरफेर करने के लिए अपनाई गई भ्रामक रणनीति को शामिल करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों के दायरे को बढ़ाता है।
- अधिनियम की धारा 123(2) अनुचित प्रभाव के मुद्दे को संबोधित करती है, जिसमें एक उम्मीदवार, उनके एजेंटों, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप शामिल है जो चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र अभ्यास में बाधा डालता है। इस तरह के हस्तक्षेप में धमकी, सामाजिक बहिष्कार, किसी सामाजिक समूह या समुदाय से निष्कासन, या आध्यात्मिक परिणामों के आधार पर जबरदस्ती रणनीतियां शामिल हो सकती हैं।

### **भारत में निजता का अधिकार क्या है ?**

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या निजता के अधिकार को शामिल करने के लिए की गई है। यह अधिकार किसी व्यक्ति की स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत पसंद को राज्य या किसी अन्य इकाई के अनुचित हस्तक्षेप से बचाने तक फैला हुआ है।
- जस्टिस के.एस. के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ ने संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में निजता के अधिकार की पुष्टि की। न्यायालय ने माना कि गोपनीयता अन्य मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक है और स्वतंत्रता और गरिमा की अवधारणा का अभिन्न अंग है।
- भारत में निजता का अधिकार पूर्ण और अविवेकी तथा प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि यह कुछ परिस्थितियों में उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। जैसे – राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, या अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा आदि के संदर्भ में यह प्रतिबंधित भी होता है। इसके अतिरिक्त, डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और सुरक्षा की निगरानी के दृष्टिकोण से और अन्य गोपनीयता – संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक मानदंडों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित होते रहते हैं।



- भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) 1951 द्वारा संविधान की मान्यता और निर्वाचन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।
- यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को निर्वाचनी अधिकार देता है और लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इस अधिनियम के तहत, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया का प्रबंधन करता है और निर्वाचनों को सुनिश्चित करता है कि वे संविधान के तहत होते हैं।
- निजता का अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है और जो भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- यह अधिकार नागरिकों को उनकी निजी जीवन और उनकी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करता है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं में नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- निजता के अधिकार का पालन करना संविधान की मौलिक सिद्धांतों में से एक है, जो भारतीय समाज की न्यूनतम सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को समर्थन करता है।
- यह अधिकार नागरिकों को आजादी और अधिकारों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रदान करता है जो उन्हें स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अनुभव करने का अवसर देती है।

**प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

**Q1. निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है?**

- A. भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- B. भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 17 और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।
- C. संविधान के अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- D. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

**उत्तर: C**

**Q2. भारत में लोकसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है ?**

- A. भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति।
- B. उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से चुनाव लड़ा जाना है।
- C. भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है।
- D. भारत का कोई भी नागरिक।

उत्तर: C

**मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

- Q1. चुनावी खुलासों के संदर्भ में निजता के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और उम्मीदवारों और मतदाताओं पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। ( शब्द सीमा - 250 अंक - 15 ) (UPSC CSE - 2019)
- Q2. चुनावी अभियानों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रावधानों का पालन करने या उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करें। ( शब्द सीमा - 250 अंक - 15 ) ( UPSC CSE - 2013)

Akhilesh kumar shrivastav

